प्रारंभिक परीक्षा

कैबिनेट समितियां

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद CCPA और CCS की प्रमुख बैठकें बुलाई हैं।

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) के बारे में -

- **अध्यक्षता**: प्रधानमंत्री द्वारा
- **सदस्य**: रक्षा, गृह, सड़क एवं परिवहन, वित्त और वाणिज्य मंत्री।
- राजनीतिक मामलों की समिति सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों में से एक है। इसे "**सुपर कैबिनेट**" भी कहा जाता है।
- **कार्य:**
    - केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों से निपटना।
    - ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की जांच करना जिनके लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) के बारे में -

- **अध्यक्षता**: प्रधानमंत्री द्वारा।
- **सदस्य**: रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री।
- **कार्य:**
    - यह रक्षा नीति और व्यय पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।
    - यह राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों में अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च निकाय है।
    - यह भारत की कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों से निपटती है।

कैबिनेट समितियां -

- कैबिनेट समितियों की जड़ें **इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861** में निहित हैं जो **लॉर्ड कैनिंग** के समय में लागू हुआ था।
    - इस अधिनियम ने **पोर्टफोलियो प्रणाली** और गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद की शुरुआत की।
- **कैबिनेट समितियों की विशेषताएं**:
    - **संविधानेतर प्रकृति**: संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। भारत सरकार के कार्य संचालन नियम, 1961 में इनकी स्थापना का प्रावधान है।
    - **प्रकार**: स्थायी और तदर्थ।
    - प्रधानमंत्री द्वारा गठित
    - **सदस्यता**: 3 से 8 मंत्री। आम तौर पर, वे केवल कैबिनेट मंत्रियों से बने होते हैं। हालाँकि, गैर-कैबिनेट मंत्रियों को भी उनकी बैठकों के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
    - **अध्यक्ष**: प्रधानमंत्री आमतौर पर इन समितियों के प्रभारी होते हैं। कभी-कभी अन्य कैबिनेट मंत्री भी प्रभारी होते हैं।
        - उदाहरणार्थ, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री (वर्तमान में राजनाथ सिंह) करते हैं।
    - वर्तमान में भारत में **8 कैबिनेट समितियां** कार्य कर रही हैं।

स्रोत: NDTV - CCS

पद्म पुरस्कार

संदर्भ

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए।

पद्म पुरस्कारों के बारे में -

- पद्म पुरस्कार **भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है जिसकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है।**
- एक वर्ष में दिए जाने वाले **पुरस्कारों की कुल संख्या** (मरणोपरांत पुरस्कारों और एनआरआई/विदेशियों/ओसीआई को छोड़कर) **120 से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- **यह पुरस्कार किसी उपाधि के समान नहीं है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता है।**
- **इतिहास:**
    - भारत सरकार ने **1954** में दो नागरिक पुरस्कार-**भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की।**
    - पद्म विभूषण के तीन वर्ग थे **पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग**। बाद में **1955** में इनका नाम बदलकर **पद्म विभूषण, पद्म भूषण** और **पद्म श्री** कर दिया गया।
- पद्म पुरस्कार, **पद्म पुरस्कार समिति** द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं।
    - इसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
    - समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
    - **नामांकन जनता के लिए खुले हैं और स्व-नामांकन की भी अनुमति है।**
- **श्रेणियाँ**: पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं:
    - **पद्म विभूषण** 'असाधारण और विशिष्ट सेवा' के लिए दिया जाता है;
    - **पद्म भूषण** 'उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा' के लिए दिया जाता है; और
    - **पद्म श्री** 'विशिष्ट सेवा' के लिए दिया जाता है।

तथ्य

- पद्म पुरस्कार की उच्च श्रेणी केवल उस व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है, जहाँ पिछले पद्म पुरस्कार के प्रदान किए जाने के बाद कम से कम 5 वर्ष की अवधि बीत चुकी हो।
- वर्ष **1978, 1979 और 1993 से 1997** तक पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए।
- **भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं** की संख्या प्रति वर्ष अधिकतम 3 हो सकती है।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न. भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2021)

1. भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियाँ हैं।
2. 1954 में प्रारंभ किये गये पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था।
3. संख्या किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या पांच तक सीमित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से **सही नहीं** है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: **PIB - Padma Awards**

आम और जलवायु परिवर्तन

संदर्भ

कृषि बाजार आसूचना केंद्र के अनुसार, बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन भारत में आम उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं।

आम के बारे में -

- यह **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु** में सबसे अच्छी तरह से पनपता है।
- फूल और फलने के चरणों के दौरान शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है।
- भारी वर्षा, पवन या ठंड फसल को नुकसान पहुंचा सकती है।
- **मिट्टी की आवश्यकता**: अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपती हैं - **दोमट या जलोढ़।**
- आमों में आनुवंशिक गुण होते हैं जो उन्हें गर्मी, सूखे और तनाव से बचने में मदद करते हैं।
    - वे पर्यावरण में अपने शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार समायोजित हो सकते हैं|
- **प्रमुख खतरे**:
    - हीटवेव्स, ओलावृष्टि, बेमौसम वर्षा।
    - पाउडरी मिलड्यू जैसी बीमारियाँ और फ्रूट फ्लाई जैसे कीट।
    - तापमान में वृद्धि के कारण अल्फांसो में स्पंजी ऊतक विकार।

आम पर ऊष्मा का प्रभाव -

- **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार: 1901 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा।**
- **गर्मी आम के पेड़ों को कैसे प्रभावित करती है?**
    - **फल गिरना** - फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं।
    - **जल्दी पकना** - फल बहुत जल्दी पक जाते हैं, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है।
    - **धूप से झुलसना** - तेज धूप में फल जल जाते हैं।
    - **असमान रूप से पकना** - कुछ हिस्से पके होते हैं, दूसरे नहीं।
    - अल्फांसो आमों में, गर्मी के तनाव के कारण स्पंजी ऊतक विकार आम है।

आम उत्पादन -

- **भारत विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है।**
    - **आम की खेती का क्षेत्रफल**: ~24 लाख हेक्टेयर।
    - **2023-24 में उत्पादन**: ~224 लाख टन।
- भारत में प्रति हेक्टेयर आम की उत्पादकता अन्य आम उत्पादक देशों की तुलना में अधिक है।
- **भारत में शीर्ष आम उत्पादक राज्य:**
    - **उत्तर प्रदेश** - क्षेत्रफल और उत्पादन में सबसे अधिक।
    - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल।
- **लोकप्रिय भारतीय आम की किस्में**:
    - **अल्फांसो (हापुस)** - महाराष्ट्र
    - **दशहरी**-उत्तर प्रदेश
    - **लंगड़ा** - बिहार एवं उत्तर प्रदेश
    - **बंगनपल्ली** - आंध्र प्रदेश
    - तोतापुरी, केसर, हिमसागर आदि।
- **आम उत्पादन में शीर्ष तीन देश**: (1) भारत (2) चीन (3) इंडोनेशिया (4)

स्रोत: [The Hindu - Mango Production]

रूस के लिए क्रीमिया क्यों महत्वपूर्ण है?

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक शांति समझौते का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत अमेरिका औपचारिक रूप से क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान लेगा। यह कदम अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही विदेश नीति को उलट देता है, जिसने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को रूस द्वारा अपने में मिलाने का विरोध किया था।

क्रीमिया का सामरिक महत्व -

- **गर्म पानी के बंदरगाहों के लिए रूस की ऐतिहासिक खोज**:
    - रूस की तटरेखा 37,000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा आर्कटिक में है, जहाँ सर्दियों में बर्फ़ के कारण बंदरगाहों की उपयोगिता सीमित हो जाती है।
    - रूस लंबे समय से साल भर समुद्री पहुँच को सुरक्षित रखने के लिए गर्म पानी के बंदरगाहों की तलाश कर रहा है।
    - भूगोलवेत्ता जॉर्ज बैबकॉक क्रेसी ने अपनी पुस्तक में लिखा है: "रूस का इतिहास समुद्री बंदरगाहों की खोज के संदर्भ में लिखा जा सकता है।
- **काला सागर – भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार**:
    - काला सागर रूस का सबसे गर्म जल निकाय है और बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य के जरिए भूमध्य सागर तक महत्वपूर्ण पहुँच प्रदान करता है।
    - ये समुद्री मार्ग रूस को यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और उससे आगे तक जोड़ते हैं।
- **सेवस्तोपोल – रूस का प्रमुख नौसैनिक अड्डा:**
    - सोची और नोवोरोस्सिय्स्क जैसे अन्य बंदरगाहों के विपरीत, क्रीमिया में सेवस्तोपोल एक गहरे पानी का बंदरगाह है और काला सागर बेड़े के लिए आदर्श है।
    - सेवस्तोपोल को 1997 के खार्किव संधि के तहत यूक्रेन द्वारा रूस को पट्टे पर दिया गया था, जिसे 2010 में 2042 तक बढ़ा दिया गया था।
    - रूस ने क्रीमिया पर कब्ज़ा करने के बाद 2014 में एकतरफा रूप से इस संधि को समाप्त कर दिया।

2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा - घटनाक्रम

- फरवरी 2014 में, राष्ट्रपति **विक्टर यानुकोविच**, जिन्हें **रूस का सहयोगी** माना जाता था, को मैदान क्रांति के दौरान उखाड़ फेंका गया।
- रूस को डर था कि **सेवस्तोपोल** एक नई **पश्चिम समर्थक यूक्रेनी सरकार के हाथों** में जा सकता है।
- मार्च 2014 में, **रूस ने औपचारिक रूप से प्रायद्वीप पर अधिकार** कर लिया।
- **अधिकार करने के दो मुख्य कारण**:
  - **सेवस्तोपोल पर नियंत्रण बनाए** रखना।
  - **यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना**, जिससे रूस के काला सागर पर प्रभुत्व पर प्रभाव पड़ता।
  -

स्रोत: [Indian Express - Crimea]

समाचार संक्षेप में

YUGM इनोवेशन कॉन्क्लेव

- **यह एक रणनीतिक नवाचार शिखर सम्मेलन है जो सरकार, शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान हितधारकों को एक साथ लाता है।**
  - **YUGM का** संस्कृत में अर्थ **"संगम" है।**
- **द्वारा आयोजित:** शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन
- इसका उद्देश्य भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना और विकसित भारत@2047 को बढ़ावा देना है।

कॉन्क्लेव के मुख्य उद्देश्य -

- अनुसंधान एवं विकास तथा डीप-टेक में निजी निवेश में तेजी लाना।
- एआई, बायोटेक, मेडटेक और क्वांटम में अनुसंधान से उत्पाद पाइपलाइनों को तेजी से आगे बढ़ाना।
- शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत बनाना।
- शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार की पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना।
- राष्ट्रीय नवाचार लक्ष्यों और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के साथ संरेखण को बढ़ावा देना।

स्रोत: PIB - YUGM

ग्रीन म्युनिसिपल बांड(Green Municipal Bonds)

- **हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बांड गाजियाबाद नगर निगम (जीएनएन) द्वारा जारी किया गया।**

म्युनिसिपल बांड क्या हैं?

- **म्यूनिसिपल बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों (ULB) जैसे नगर निगमों द्वारा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाने वाला एक ऋण साधन है।**
- वे अपने सरकारी समर्थन के कारण एक सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्प प्रदान करते हैं।
- **ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड** एक उप-श्रेणी है, **जहाँ धन का उपयोग विशेष रूप से पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं (जैसे, स्वच्छ जल, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन) के लिए किया जाता है।**
- भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड 1997 में बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया था।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को नियंत्रित करता है।
  - इसने भारत में म्यूनिसिपल बांड जारी करने के संबंध में विशिष्ट विनियम और दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

स्रोत: PIB - Green Muni Bonds

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA)

- **यह कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत 2016 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।**
- **कार्य:**
  - वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
  - निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
  - दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमाराशि आदि से जुड़े मामलों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।

- कंपनियों से दावा न किए गए निवेशक फंड की वसूली और प्रबंधन करना।
- **यह निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) का प्रबंधन करता है।**
  - IEPF में ऐसी अघोषित राशियाँ होती हैं जिनका भुगतान सात वर्षों से नहीं किया गया है। जैसे:
    - अप्रदत्त लाभांश, वापसी के लिए देय आवेदन राशि, परिपक्व जमा और डिबेंचर तथा सरकार या संस्था अनुदान/दान।
  - ये राशियाँ सात वर्ष की अवधि के बाद IEPF में स्थानांतरित कर दी जाती हैं।

निवेशक शिविर पहल -

- **IEPFA और सेबी** की एक संयुक्त पहल है, जिसे दावा न किए गए लाभांश और शेयरों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया है।

स्रोत: PIB - IEPFA

लोकस्ट(Locusts)

- **लोकस्ट**(**Locusts**) एक प्रकार के **टिड्डे**(**grasshopper**) **हैं** जो एक व्यवहारिक परिवर्तन से गुजरते हैं जिसे **ग्रेगराइजेशन** कहा जाता है।
- एकांत स्थितियों में, वे सामान्य टिड्डों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब जनसंख्या घनत्व बढ़ता है और पर्यावरणीय ट्रिगर संरेखित होते हैं (जैसे वर्षा), तो वे:
  - तेजी से सख्यां में बढतें है
  - बड़े हो जाते है
  - रंग बदलते है
  - लंबी दूरी पर बड़े झुंडों में एक साथ चलना शुरू करते है।
- एकान्त से सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के कारण बड़ी संख्या में टिड्डियां खतरनाक हो जाती हैं।
- वे प्राकृतिक एवं कृषि योग्य वनस्पति को भारी क्षति पहुंचाते हैं।
- **भारत में पाई जाने वाली लोकस्ट की प्रजातियाँ:** रेगिस्तानी लोकस्ट, प्रवासी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और वृक्ष लोकस्ट।

स्रोत: The Hindu - Locusts

प्रोजेक्ट कुइपर(Project Kuiper)

- अमेज़न के कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट तारामंडल के लिए पहले 27 उपग्रहों को हाल ही में फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया।

प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में -

- **यह वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रह समूह बनाने के लिए 2019 में शुरू की गई अमेज़न की $10 बिलियन की पहल है।**
  - **LEO** अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जो पृथ्वी से 2,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है।
- इस परियोजना का उद्देश्य वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटना है।
- **कुल नियोजित उपग्रह:** 3,236 उपग्रहों को लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में लॉन्च किया जाएगा।
- यह सीधे स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

स्रोत: DD News - Project Kuiper

चोलिस्तान रेगिस्तान

- **पाकिस्तान सरकार ने सिंध में व्यापक विरोध के बाद अपनी चोलिस्तान नहर परियोजना को रोकने का फैसला किया है।**

- यह नहर परियोजना **ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव (GPI)** का हिस्सा है, जिसे 2023 में सिंचाई अवसंरचना प्रदान करके, उन्नत तकनीकों को पेश करके पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
- चोलिस्तान नहर इस पहल का एक प्रमुख घटक है।
- यह दक्षिणी पंजाब में, विशेष रूप से चोलिस्तान रेगिस्तान में लगभग 1.2 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाली थी।

चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में -

- यह पाकिस्तानी पंजाब के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसे रोही के नाम से भी जाना जाता है।
- यह बड़े थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारतीय राज्य राजस्थान तक फैला हुआ है।
- "चोलिस्तान" नाम तुर्किक और फ़ारसी मूल से आया है, जिसका अर्थ है "रेत की भूमि"।

स्रोत: Indian Express - Cholistan

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (BRC)

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)** के तहत **जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (BRC) स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं** ।

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (BRC) क्या हैं?

- **BRC क्लस्टर स्तर के उद्यम हैं जो स्थानीय स्तर पर उपयोग के लिए तैयार जैव-इनपुट (प्राकृतिक उर्वरक, मृदा संवर्द्धक आदि) का उत्पादन और आपूर्ति करते हैं।**
- BRC उन किसानों की सहायता करेगा जो इन जैव-इनपुट को व्यक्तिगत रूप से नहीं बना सकते हैं।
- यह प्राकृतिक खेती के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, खुराक और अनुप्रयोग तकनीकों के प्रसार के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- **वित्तीय सहायता**: ₹50,000 प्रत्येक की दो किस्तों में प्रति BRC ₹1 लाख।
- **BRC स्थापित करने की पात्रता:**
    - यह पहले से ही प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने वाला किसान समूह/संस्था होना चाहिए या इसके सदस्यों को पूर्व अनुभव होना चाहिए।
    - यदि कोई भी अभ्यास नहीं कर रहा है, तो राज्य प्राकृतिक खेती प्रकोष्ठ अगले फसल मौसम से प्राकृतिक खेती को अपनाने के इच्छुक उद्यमी की पहचान करेगा।
    - उद्यमी को अपने खेत पर जैव-इनपुट के उपयोग का प्रदर्शन करना चाहिए।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) -

- **NMNF एक समर्पित पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने में सहायता करना है।**
- इसे **नवंबर 2024 में लॉन्च** किया गया था।
- **उद्देश्य**: पूरे भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करना।
- यह किसानों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करता है:
    - गुणवत्तापूर्ण जैव-इनपुट की कमी
    - सीमित ज्ञान और प्रशिक्षण
    - उचित कीमतों के लिए बाजार तक खराब पहुँच

स्रोत: Down to Earth - BRC

संपादकीय सारांश

भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट संकट पर न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है

संदर्भ

भारत की विशाल अपशिष्ट प्रबंधन समस्या से निपटने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप जैसे कि **'सतत परमादेश'** और **'प्रदूषणकर्ता ही भुगतान करेगा'** सिद्धांत एक समाधान हो सकता है।

भारत में प्लास्टिक संकट -

- **नेचर स्टडी** के अनुसार, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है, जो सालाना लगभग 9.3 मिलियन टन (Mt) प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का पाँचवाँ हिस्सा है।
- इसमें प्लास्टिक का मलबा और खुले में प्लास्टिक जलाने से होने वाला उत्सर्जन दोनों शामिल हैं।
- इस प्लास्टिक का अधिकांश भाग प्रबंधित या कुप्रबंधित प्रणालियों से अप्रबंधित वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय गिरावट होती है।

प्लास्टिक संकट से जुड़ी समस्याएं -

- **अपशिष्ट का कम आंकलन**: आधिकारिक आंकड़े 0.12 किग्रा/व्यक्ति/दिन बताते हैं, जबकि वास्तविक आंकड़ा 0.54 किग्रा/व्यक्ति/दिन हो सकता है।
    - ग्रामीण अपशिष्ट, अनौपचारिक क्षेत्र में पुनर्चक्रण, तथा खुले में जलाए जाने की घटनाएं प्रायः रिपोर्ट नहीं की जातीं।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा**: भारत में कूड़ा स्थलों की संख्या सैनिटरी लैंडफिल से 10:1 अधिक है।
    - कई क्षेत्रों, विशेषकर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में, अपशिष्ट प्रबंधन हेतु डेटा और क्षमता का अभाव है।
- **पारदर्शिता और लेखापरीक्षा का अभाव**: अपशिष्ट डेटा एकत्र करने के लिए कोई स्पष्ट पद्धति नहीं है।
    - अपशिष्ट ऑडिट, यदि कोई हो, सार्वजनिक डोमेन में नहीं है।
- **कमजोर स्थानीय शासन**: पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का अभाव होता है।
    - कई शहरी स्थानीय निकाय मैटेरियल रिकवरी सुविधाओं (एमआरएफ), ईपीआर कियोस्क या सैनिटरी लैंडफिल से जुड़े नहीं हैं।
- **पर्यावरणीय मानदंडों का गैर-अनुपालन**: जहां नियम मौजूद हैं, वहां भी उनका प्रवर्तन कमजोर है।
    - योजनाएं अक्सर सार्थक क्रियान्वयन के बिना कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं।

न्यायपालिका की भूमिका -

- **संवैधानिक कर्तव्य**: सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण संरक्षण को मौलिक अधिकारों और पारिस्थितिक संतुलन से जुड़ा एक संवैधानिक दायित्व मानता है।
- **सतत् आदेश का प्रयोग:** वेल्लोर टेनरियों जैसे मामलों में, न्यायालय ने एक समिति के माध्यम से सतत् निगरानी और अनुपालन का आदेश दिया, जिससे वास्तविक समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

- वेल्लोर **सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996)** ने तमिलनाडु में चमड़े के कारखानों द्वारा किये जाने वाले गंभीर प्रदूषण को उजागर किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए, प्रदूषक को भुगतान करना होगा और एहतियाती सिद्धांतों को लागू किया।
- इसने मुआवजा, उपचार संयंत्रों के आदेश दिए तथा सतत विकास, न्यायिक हस्तक्षेप और पर्यावरण शासन में जवाबदेही के लिए एक मिसाल कायम की।

जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने वेल्लोर टेनरियों के लिए पहले के पर्यावरण निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक सतत परमादेश' जारी किया।

- प्रदूषण निवारण की देखरेख के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया।
- चार महीने के भीतर अनुपालन का आदेश दिया।
- प्रदूषणकर्ता भुगतान करें और सरकार भुगतान करें के सिद्धांतों को दोहराया।
- न्याय और पारिस्थितिकी बहाली प्रदान करने के लिए समयबद्ध प्रवर्तन पर जोर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णय

मामला	वर्ष	प्रमुख न्यायिक अवलोकन
ग्रामीण मुकदमा एवं अधिकार केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	1988	**स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को** संविधान के **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)** का अंतर्निहित हिस्सा माना गया।
एमसी मेहता बनाम भारत संघ	1987	न्यायालय ने कहा कि **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार** का एक मौलिक घटक है।
वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य	1995	उन्होंने कहा कि **पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार** के आवश्यक पहलू हैं।
टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य	1996	**'वन'** शब्द की व्यापक व्याख्या की गई, **तथा स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किए बिना हरित आवरण** की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
एमके रंजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य	2024	**जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को** संविधान के **अनुच्छेद 14 और 21** द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।

परमादेश(Mandamus) -

- **Mandamus एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ परमादेश यानि "हम आदेश देते हैं।" है।**
- परमादेश रिट एक न्यायिक आदेश है जो किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत, सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी अधिकारी या निकाय को जारी किया जाता है, जो उन्हें एक विशिष्ट कार्य या कर्तव्य करने के लिए बाध्य करता है, जिसे पूरा करने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य हैं।

- **प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत**: न्यायालयों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रदूषणकर्ताओं को न केवल पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए, बल्कि पारिस्थितिकी बहाली के लिए भी भुगतान करना चाहिए।
- **सरकारी भुगतान सिद्धांत**: यदि प्रदूषक तुरंत भुगतान नहीं कर सकते, तो सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देना होगा और बाद में प्रदूषकों से वसूली करनी होगी।
- **गैर-अनुपालन के लिए जवाबदेही:** न्यायालयों ने समयबद्ध अनुपालन और गैर-कार्यान्वयन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है।

आगे की राह: समाधान

- **विश्वसनीय, पृथक आंकड़े**: अनिवार्य अपशिष्ट लेखा परीक्षा और पारदर्शी कार्यप्रणाली को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।
    - ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के आंकड़ों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।
- **अपशिष्ट अवसंरचना की जियोटैगिंग**: भू-स्थानिक उपकरणों के माध्यम से एमआरएफ, रिसाइकिलर, लैंडफिल जैसी अवसंरचना को ट्रैक करें।
- **स्थानीय शासन को मजबूत बनाना**: सुनिश्चित करना कि सभी शहरी और ग्रामीण निकाय पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण प्रणालियों से जुड़े हों।
    - पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण को सक्षम बनाना।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को क्रियान्वित करना:** अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण के लिए सभी क्षेत्रों में पीआईबीओ (उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक) द्वारा कियोस्क स्थापित करना।
    - अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्यों को वास्तविक वसूली के साथ जोड़ें।
- **न्यायिक निरीक्षण**: प्रमुख अपशिष्ट प्रबंधन मामलों में सतत परमादेश लागू करना।
    - अनुपालन की निगरानी करने तथा प्रभावित समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन के लिए वास्तविक समय निगरानी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भारत की आईटी और जीआईएस क्षमताओं का लाभ उठाना।

स्रोत: **The Hindu: A powerful judicial remedy for waste management**

भारत में स्वस्थ वृद्धावस्था की आर्थिक संभावनाओं को खोलना

संदर्भ

IMF के विश्व आर्थिक परिदृश्य (2025) में भारत जैसे वृद्ध समाजों में स्वस्थ वृद्धावस्था की चुनौतियों और आर्थिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख जनसांख्यिकीय रुझान -

मीट्रिक	**डेटा**
बुजुर्ग जनसंख्या (2031 अनुमान)	कुल जनसंख्या का 13.1% (2011 में 8.6% से ऊपर)
बुजुर्गों की वार्षिक वृद्धि दर	3.28%
अधिक बुजुर्ग जनसंख्या वाले राज्य	केरल (12.6%), गोवा (11.2%), पंजाब (10.3%), तमिलनाडु, एपी, एचपी

कार्यबल भागीदारी रुझान -

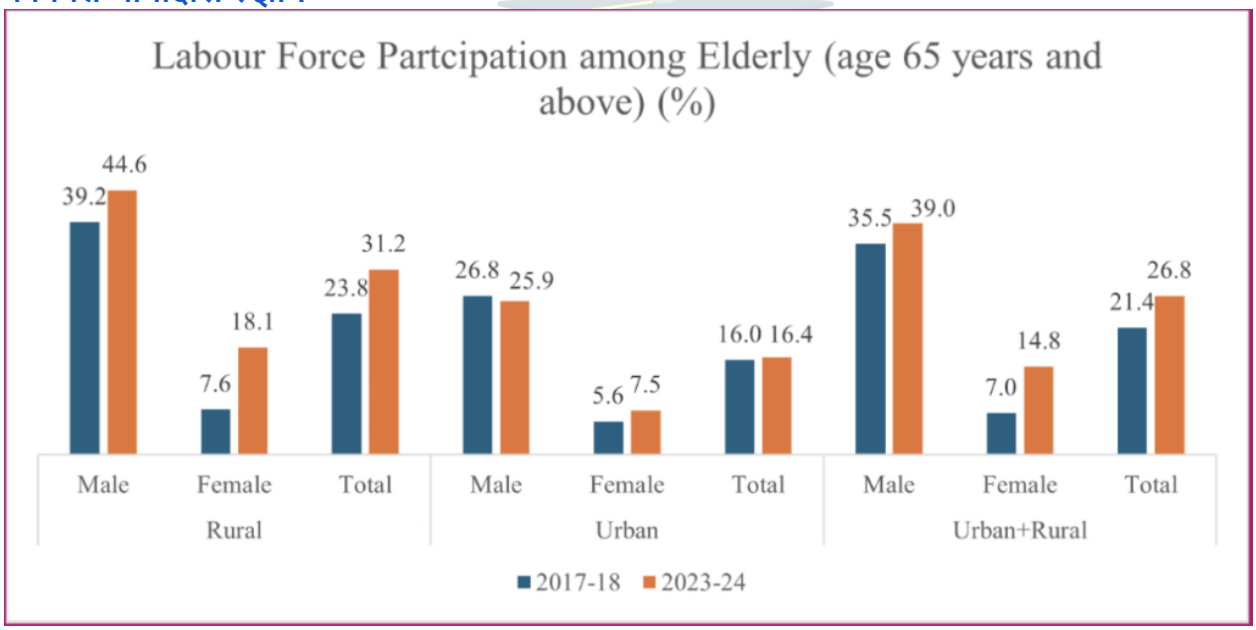

खंड	**2017–18 पीएलएफएस**	**2023–24 पीएलएफएस**	**परिवर्तन**
आयु 65+	21.4%	26.8%	↑ 5.4%
ग्रामीण बुजुर्ग एलएफपीआर	23.8%	31.2%	↑ 7.4%

शहरी बुजुर्ग एलएफपीआर	16%	16%	कोई परिवर्तन नहीं होता है
ग्रामीण बुजुर्ग महिलाएं	-	↑ 10.5% अंक	
ग्रामीण बुजुर्ग पुरुष	-	↑ 5.2% अंक	
शहरी बुजुर्ग पुरुष	-	गिरावट	
शहरी बुजुर्ग महिलाएं	-	थोड़ा सी बढ़ोतरी	

प्रमुख चुनौतियाँ -

- **आर्थिक मंदी**: वृद्धावस्था भारत की जीडीपी वृद्धि को 70 आधार अंकों (2025-2050) तक कम कर सकती है।
- **बढ़ती लागत:** स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन प्रणालियों पर बढ़ता बोझ।
- **लैंगिक असमानता**: महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अभी भी वैश्विक औसत से नीचे है (2023-24 में 41.7% बनाम वैश्विक 50%)।

अन्य चुनौतियाँ -

- **अनैच्छिक कार्य**: कई बुजुर्ग अपनी इच्छा के बजाय आर्थिक मजबूरी के कारण काम करना जारी रखते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानता**: 81% ग्रामीण बुजुर्ग कृषि/संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं।
    - शहरी बुजुर्ग विविध क्षेत्रों में अधिक कार्यरत हैं (कृषि में केवल 23%)।
- **कम कौशल विकास**: बेरोजगार बुजुर्ग सीखने पर शून्य समय व्यतीत करते हैं; कौशल उन्नयन के मार्गों का अभाव।
- **सीमित विविधीकरण**: बुजुर्गों के लिए विनिर्माण/औद्योगिक नौकरियों में कोई वृद्धि नहीं; सेवा क्षेत्र की भागीदारी घट रही है।

अवसर -

क्षेत्र	**व्याख्या**
स्वस्थ वृद्ध समूह	2022 में 70 वर्षीय लोगों का संज्ञानात्मक स्तर 2000 के 53 वर्षीय लोगों के समान था।
विस्तारित कार्य जीवन	बेहतर स्वास्थ्य से लम्बे समय तक कार्य करने की क्षमता मिलती है → **उच्च उत्पादकता**।
आर्थिक लाभ	**स्वस्थ वृद्धावस्था 2050 तक भारत की जीडीपी वृद्धि में 60 आधार अंकों की वृद्धि कर सकती है।**
प्रौद्योगिकी और एआई	रेटिना स्क्रीनिंग में प्रयुक्त एआई से निवारक स्वास्थ्य देखभाल की संभावनाएं दिखती हैं।

पेंशन सुधार	एनपीएस ने राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा दिया; पुरानी योजनाओं पर वापस लौटना टिकाऊ नहीं है।
महिला एलएफपीआर बूस्ट	जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए कार्यबल में लैंगिक समानता को लक्षित करना महत्वपूर्ण है।

बुजुर्ग आबादी के लिए भारत की पहल -

- **सैक्रेड पोर्टल (सम्मानजनक पुनर्नियोजन के लिए वरिष्ठ सक्षम नागरिक)** - एक नौकरी मंच जो वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक पुनर्नियोजन के अवसरों के लिए निजी नियोक्ताओं से जोड़ता है।
- **SAGE (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन)** - बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देता है, जिसका लक्ष्य एक मजबूत बुजुर्ग देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- **एल्डर लाइन (टोल-फ्री नंबर: 14567)** - एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा के मामलों में मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और हस्तक्षेप प्रदान करती है।
- **वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी)** - वृद्धजनों के कल्याण के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को सहायक उपकरण (जैसे चलने की छड़ियां, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र) निःशुल्क प्रदान करती है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)** - NSAP योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों (60+ वर्ष) को मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)** - वरिष्ठ नागरिकों (60+) के लिए एक पेंशन योजना जो एलआईसी के माध्यम से 10 वर्षों के लिए सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करती है।
- **वयोश्रेष्ठ सम्मान** - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धजनों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम (एमडब्ल्यूपीएससी), 2007** - बच्चों या उत्तराधिकारियों को अपने बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण करने का आदेश देता है और बुजुर्गों के संरक्षण के लिए वृद्धाश्रम और न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।

प्रमुख वैश्विक मॉडल जो बुजुर्ग कार्यबल की क्षमता का उपयोग करते हैं

देश	मॉडल /कार्यक्रम	प्रमुख विशेषताएं	लक्ष्य क्षेत्र/समूह	प्रभाव
जापान	**वरिष्ठ मानव संसाधन केंद्र (एसएचआरसी)**	➔ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंशकालिक, लचीली नौकरियाँ ➔ नौकरी मिलान ➔ पुनः रोजगार नीतियां	सामुदायिक एवं लिपिकीय कार्य से सेवानिवृत्त	उच्च वृद्धावस्था एलएफपीआर (~ 65+ के लिए 25%); सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देता है

प्रमुख वैश्विक मॉडल जो बुजुर्ग कार्यबल की क्षमता का उपयोग करते हैं				
संयुक्त राज्य अमेरिका	**एनकोर करियर प्रोग्राम**	➔ सामाजिक प्रभाव वाले दूसरे करियर ➔ फैलोशिप और मार्गदर्शन कार्यक्रम	शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गैर सरकारी संगठनों में प्रवेश करने वाले सेवानिवृत्त	सामाजिक भलाई के लिए अनुभव का उपयोग; उद्देश्यपूर्ण वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना
जर्मनी	**आंशिक सेवानिवृत्ति और लचीली आयु**	➔ धीरे-धीरे कार्यभार में कमी ➔ विस्तारित कार्य के लिए पेंशन प्रोत्साहन	औपचारिक क्षेत्रों में वृद्ध कर्मचारी	सेवानिवृत्ति की ओर सुगम संक्रमण; कार्यबल में ज्ञान का संरक्षण
स्वीडन	**विलंबित सेवानिवृत्ति प्रोत्साहन**	➔ बाद में सेवानिवृत्ति के लिए उच्च पेंशन ➔ समावेशी कार्यस्थल प्रथाएँ	65 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी	उत्पादक वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करता है; पेंशन का बोझ कम करता है
सिंगापुर	**वरिष्ठ रोजगार ऋण योजना**	➔ नियोक्ताओं को वेतन सब्सिडी ➔ सेवानिवृत्ति एवं पुनः रोजगार की आयु बढ़ाई गई	वृद्ध कर्मचारी (55-60 वर्ष से ऊपर)	वरिष्ठ कर्मचारियों के रोजगार को बनाए रखना; आयु-आधारित नौकरी की असुरक्षा को कम करना

आगे की राह -

- **सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन करना:** सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ती जीवन प्रत्याशा के अनुरूप बनाना।
- **अनुभव का उपयोग करना:** सुरक्षा, रणनीति, मेंटरशिप में सेवानिवृत्त पेशेवर (जैसे, पूर्व सेना)
- **वैश्विक मॉडल:** जापान के SHRCs, अमेरिकी एनकोर करियर, स्वीडन की लचीली सेवानिवृत्ति
- **कार्यस्थल नवाचार**: आयु-अनुकूल और लचीले कार्य वातावरण को बढ़ावा देना
- **कौशल एवं शिक्षा:** पुनः कौशल विकास और आजीवन सीखने के अवसर सृजित करना
- **सामाजिक सुरक्षा**: अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), मनरेगा, प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई), गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) आदि को मजबूत करना।
- **उद्यमिता:** बुजुर्गों के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों और सामुदायिक पहलों को प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** निवारक स्वास्थ्य देखभाल और एआई-आधारित चिकित्सा जांच में निवेश करना।
- **लैंगिक समानता:** रोजगार में लैंगिक समानता में सुधार करना।

स्रोत:

- **Business Standard: Healthy ageing: Adjust policies to capture the upside through innovation**
- **The Wire: Turning Silver into Gold: India's Aging Workforce Needs to Be Utilised**

ऋण और वित्तीय अस्थिरता पर IMF की चेतावनियाँ – भारत के लिए निहितार्थ

संदर्भ

IMF की **राजकोषीय निगरानी और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट** (**FSR**) ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं, विशेष रूप से बढ़ते सार्वजनिक ऋण, अस्थिर वित्तीय बाजारों और नीतिगत अनिश्चितताओं के संदर्भ में, जिनमें अमेरिकी व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताएं भी शामिल हैं।

मुख्य बातें -

- **बढ़ता वैश्विक ऋण:** IMF का अनुमान है कि मध्यम अवधि में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 4% और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 6% बढ़ेगा ।
    - भारत का केंद्र सरकार का ऋण वित्त वर्ष 26 तक 196.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें ऋण-जीडीपी अनुपात 56.1% है, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्य 40% से बहुत दूर है।
- **राजकोषीय समेकन की चुनौतियां:** भू-आर्थिक अशांति के कारण सार्वजनिक व्यय बढ़ सकता है, जबकि राजस्व में कमी आ सकती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।
    - हाल की राजकोषीय समझदारी के बावजूद, ऋण में कमी की धीमी गति को देखते हुए भारत को सतर्क रहना होगा
- **ऋण सेवा संबंधी चिंताएं:** जबकि नई उधारी लागत (जी-सेक प्रतिफल) में थोड़ी गिरावट आई है, मौजूदा ऋण पर ब्याज का बोझ अपरिवर्तित बना हुआ है (कूपन दर ~ 7.3%)।

भारत की वित्तीय प्रणाली के लिए एफएसआर चिंताएं -

- **परिसंपत्ति अधिमूल्यांकन:** इक्विटी और कॉर्पोरेट बांड बाजार अभी भी अधिमूल्यांकित प्रतीत होते हैं, जो आगे बाजार सुधार की गुंजाइश का संकेत देते हैं।
- **ब्याज दर जोखिम:** यदि भारत जैसे उभरते देश ब्याज दरों में कटौती करते हैं, तो अमेरिका के साथ ब्याज दर का अंतर कम हो जाएगा, जिससे पूंजी बहिर्वाह का जोखिम बढ़ जाएगा।
- **प्रणालीगत वित्तीय जोखिम:** यदि बैंक जोखिम बढ़ता है तो हेज फंड और परिसंपत्ति प्रबंधकों का उच्च उत्तोलन वित्तीय प्रणालियों को अस्थिर कर सकता है।
- **क्रिप्टो परिसंपत्ति जोखिम:** IMF ने क्रिप्टो पर स्पष्ट कर नीतियों की मांग की है और प्रणालीगत संक्रमण की चेतावनी दी है, बहुपक्षीय विनियमन और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल की वकालत की है।

भारत के लिए आगे की राह -

- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन।
- राजस्व उछाल को बढ़ाने के लिए कर सुधार।
- दीर्घकालिक ब्याज बोझ को कम करने के लिए ऋण प्रबंधन रणनीतियाँ।
- वित्तीय बाजारों और क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करना।
- वैश्विक वित्तीय समन्वय तंत्र में सक्रिय भागीदारी।

स्रोत: **Businessline: IMF flags global financial stability concerns**